(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1080–दो/2006 विरूद्व आदेश दिनांक 23–5–2006 – पारित – व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा – प्रकरण कमांक 124/2003–04 अपील

प्यारेलाल कुशवाह पुत्र भदईया
ग्राम माजीखेरा तहसील नागौद
जिला सतना, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

1– लक्ष्मीप्रसाद पुत्र रामनारायण ब्राहमण
ग्राम जसो तहसील नागौद जिला रीवा
2– रामदास पुत्र भदईया कुशवाह
3– रामलाल पुत्र भदईया कुशवाह
मृतक वारिस
अ– श्रीमती हल्की पत्नि भदईया कुशवाह
ब– राजकुमार
स– जागेश्वर पुत्रगण भदईया कुशवाह
4– छोटो पुत्र सेवक कुशवाह सभी निवासी
ग्राम माजीखेरा तहसील नागोद जिला सतना ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 4–10–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 124/03–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–5–2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–1 ने नायव तहसीलदार वृत्त जसो तहसील नागोद को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा

109, 110 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जसो स्थित भूमि सर्वे कमांक 365 रकबा 8 विसवा पर विक्रय पत्र दिनांक 20–2–68 के आधार पर नामान्तरण की मांग की। इसी भूमि के सम्बन्ध में अन्य आवेदन वारिसाना नामान्तरण वावत् प्रस्तुत हुआ, जिसका नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 69 अ–6/2000–01 दर्ज किया एंव आदेश दिनांक 12–4–2002 पारित करके नामान्तरण स्वीकार किया गया। विक्रय पत्र के आधार पर नामांत्रण प्रकरण कमांक 41अ–6/2001–02 दर्ज किया गया , जिसमें आदेश दिनांक 12–4–2002 के कियान्वयन पर रोक लगाते हुये दोनों प्रकरणों में एकसाथ सुनवाई की गई तथा पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 20–11–2002 पारित किया गया एंव विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन अमान्य करते हुये आदेश दिनांक 12–4–2002 के अनुसार नामान्तरण के अमल का निर्णय लिया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी नागौद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने प्रकरण कमांक 52/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2003 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–4–2002 को एंव 20–11–2002 को निरस्त कर दिया तथा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क–1 का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करना स्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी नागौद के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 124/03–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–5–2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने प्रकरण कमांक 52/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2003 से नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–4–2002 को एंव आदेश दिनांक 20–11–2002 को इस आधार पर निरस्त किया है नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 69 अ–6

/2000–01 में आदेश दिनांक 12–4–2002 पारित करने के पूर्व कब्जेदार को सूचना नहीं भेजी, क्योंकि मौके पर भूमि विक्रय पत्र के आधार पर क्रय करने के उपरांत अनावेदक क–1 वादग्रस्त भूमि पर काविज था, जिसके कारण नायव तहसीलदार व्दारा नामान्तरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही नामान्तरण नियमों के विपरीत है। वाद विचारित भूमि का विक्रय मूल्य 80/–रू. है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 में बताया गया है कि विक्रय विलेख जिसका विक्रय धन 100 रू. से अधिक हो उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अनावेदक क–1 के हित में रू. 80/– विक्रय धन के विलेख के आधार पर नामान्तरण से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विक्रय का लेख साक्षियों के आधार प्रमाणित पाया गया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने प्रकरण कमांक 52/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2003 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–4–2002 एंव 20–11–2002 को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 124/03–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–5–2006 में अनुविभागीय अधिकारी नागौद के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी नागौद व्दारा आदेश दिनांक 10–11–2003 में एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 23–5–2006 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 124/03–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–5–2006 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर